

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/2/340

भोपाल, दिनांक 28-01-25

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)

बैतूल वृत्त बैतूल,

मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

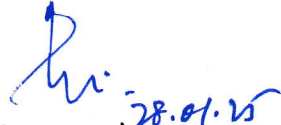
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/166, दिनांक 24.01.2025

—0—

विषयातर्गत संदर्भित पत्र से आपके द्वारा प्रकरण आनलाइन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गयी है :-

1. प्रकरण में जिला कलेक्टर, बैतूल के आदेश पत्र दिनांक 08.10.2024 से प्राप्त नवीन गैर वनभूमि की वनीकरण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है। प्रकरण में राज्य शासन, वनविभाग के पत्र दिनांक 14.05.2019 में निहित प्रावधान अनुसार संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की जाकर तकनीकी स्वीकृति सहित पोर्टल पर अपलोड की जावे।
2. आनलाईन भाग-2 में वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल द्वारा स्पष्ट/निर्धारित प्रारूप (भाग-2) में अनुशंसा नहीं की गयी है। प्रकरण में निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा पोर्टल पर अपलोड की जावें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।


(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

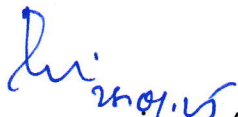
भोपाल, दिनांक 28-01-25

पृ. क्रमांक/एफ-3/2025/10-11/3/341

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सा0 वनमंडल बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं.-2, बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल